## SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998

IN THE COURT OF A.K.Gupta J.M.F.C. Gohad , DIST-. Bhind (M.P)

Case No55/18 sum	Complaint or report madeon06-12-16
Name and address of the Comp	lainantpolice station malanpur
	Kaj a
Name	e , parentage,caste and address of accused
जगतारसिंह पुत्र कुन्त	दासिंह उम्र 45 साल
	नगर जिला लखीमपुर खीरी उ०प्र०
3	TO BUSINESS OF THE PARTY OF THE
The offence, o	complainant of, and date of, its alleged commission
आपने दिनांक 0 केडबरी फेक्ट्री के सामने मालन् उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चला	6.12.16 को समय लगभग 8:45 बजे, स्थान भिण्ड ग्वालियर रोड पुर अंतर्गत थाना मालनपुर में वाहन बस क0 यूपी 31 टी9595 को कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया जो कि भा0द0वि0 की धारा और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।
क्या आप	को उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
	<b>(A.K.Gupta)</b> Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)
	a of the accused and his examination (if any)
जुर्म स्वीकार है। माफ किया जावे	
हस्ताक्षर अभियुक्त	(A.K.Gupta)  Judicial Magistrate First Class  Gohad distt Bhind (M.P.)

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

## / / निर्णय / /

## (आज दिनांक 05.04.18 को घोषित)

- 01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे भा0द0वि० की धारा 279 के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध टहराया जाता है।
- 02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी जगतारसिंह पुत्र कुन्दासिंह को भा.द.वि. की धारा 279 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं रूपये 1000/— (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है।
- 03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दषा में अभियुक्त को .सात दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
- 04. जप्तषुदा सम्पत्ति वाहन बस क0 यूपी 31 टी9595 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये। अपील की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

